

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/लेवल-ा/2017-18/ 3397

दिनांक: 18/02/2019

आदेश

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन संख्या-2/2017-18 दिनांक 05.02.2018 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 06.02.2018 के तहत अध्यापक लेवल द्वितीय (कक्षा 6-8) गणित- विज्ञान, अंग्रेजी (नॉन टीएसपी/टीएसपी) ग्रेड गा सीधी भर्ती 2017 हेतु प्राप्त अॅनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर आरटेट/रीट के प्राप्तांक प्रतिशत का 70% एवं स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत का 30% के आधार पर अध्यापक लेवल द्वितीय (अंग्रेजी) टीएसपी पद हेतु वरीयता नियमित कर प्रोविजनल सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही उपरान्त पात्र पाये जाने पर वरीयतानुसार चयन किए जाने के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्कृत विद्यालय में किया जाकर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1) वित्त(नियम)/2013 दिनांक 30.10.2017 एवं क्रमांक एफ.15(1) वित्त(नियम)/2017 दिनांक 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसरण में अभ्यर्थी को दो वर्ष का परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात लेवल-10 में रूपये 33800/- न्यूनतम वेतन एवं उसके साथ नियमानुसार भर्ती देय होगे।
- राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 16 के अनुसूची (iv) के अनुसार परीक्षाकाल में नियत पारिश्रमिक रूपये 23700/- प्रतिमाह देय होगा।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.13(1)वित्त/नियम/03 दिनांक 02.08.2005 द्वारा जारी राजस्थान सिविल सेवा(अंशदायी ऐंशन) नियम, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 6(4) वित्त(नियम)/99 दिनांक 14.01.2004 द्वारा संशोधित चिकित्सा सेवा नियम लागू होंगे।
- राज्य सरकार के आदेशांक एफ 11(1) वित्त(ग्रुप-2)/93 दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी संशोधित भवन ऋण नियम लागू होंगे।
- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक पं.7(1), कार्मिक/क-2/95 दिनांक 08.04.2003 द्वारा जारी सन्तान संबंधी प्रावधान लागू होंगे।
- प्रथम पदस्थापन स्थान से तीन वर्ष तक अन्यत्र स्थानान्तरण पर प्रतिबंध रहेगा।

S.No.	Merit No.	Application No.	Candidate Name	Father Name	DOB	Gender	Category	Selection Category	Marital Status	70% of REFL	50% of GRI	Total	Habitat	State (100)	Area (100)	Category (100)
1	3	201801133598	ROHIT SHUKLA	GAJANAND SHUKLA	01/12/1975	M	GENERAL	General	Married	49.93	13.05	62.98	BANSWARA	राप्रवेसी, बांसवाडा	बांसवाडा	बांसवाडा

नोट- 1. अभ्यर्थी संबंधित संकुल केन्द्र पर उपस्थित होकर कार्यरम्भ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संबंधित संकुल प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थियों से पद के अनुरूप पात्रता, जन्म तिथि, आयु, शैक्षणिक वृक्षसंघ, वर्ग (श्रेणी) आदि संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से जाँच कर पूर्ण संतुष्टि के बाद स्वसत्यापित छाया प्रतियों, मुख्य विकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (भूल), सन्तान संबंधी घोषणा पत्र, दहेज संबंधी, धूप्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र एवं नियमानुसार नियुक्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर अभ्यर्थी को तत्काल पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण हेतु भिजायायें।

2. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नवीनतम नॉन-क्रिमीलेवर पिछड़ी जाति का पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. अभ्यर्थी से पुलिस चरित्र सत्यापन प्राप्त कर कार्यरम्भ करवाये। पुलिस चरित्र सत्यापन के अभाव में 6 माह की अवधि में पुलिस चरित्र सत्यापन प्रस्तुत करने एवं कोई आपराधिक प्रकरण लिंबित न होने का शापथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यरम्भ करवायें।

4. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी किसी विभाग में कार्यरत हैं तो उस विभाग से नियुक्त अधिकारी (नियोक्ता) का अनापति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश/त्यामपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित होंगे। संबंधित संकुल प्रभारी पूर्व में सेवारत अभ्यर्थियों से उपर्युक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यरम्भ करावें। नव नियुक्त अध्यापकों ने से जो पहले से राज्य सेवा में नियमित कार्मिक के रूप में सेवारत हैं, उन्हें पूर्व पद पर कार्यरत रहते हुये प्राप्त वेतनमान (एलपीसी के आधार पर) अथवा फिल्स न्यूनतम पारिश्रमिक रूपये 23700/- दोनों में जिसे लेने का विकल्प कार्मिक द्वारा प्रस्तुत किया जावे, तदनुसार आहरित करावे।

5. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।

6. राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी समस्त आदेश इस नियुक्ति पर लागू होंगे।

7. नियुक्त कार्मिकों को दिनांक 28 फरवरी 2019 तक कार्यग्रहण करना होया तत्पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(हरजी लाल अटल)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/लेवल-II/2017-18/ ३३९७

दिनांक: 18/02/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. श्रीमान् विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित घटिला
5. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर/जोधपुर/अजमेर/बीकानेर (चूल)/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
6. संबंधित संकुल प्रभारी (रावरिउपासांवि/राप्रवेसांवि) को भेजकर लेख है कि अन्यर्थी के कार्यालय करते ही इसकी सूचना अविलम्ब संभाग एवं निदेशालय में भिजवायें।
7. संबंधित संस्थाप्रधान।
8. संबंधित अन्यर्थी।
9. संस्थापन अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान को व्यक्तिगत पंजिका हेतु।
10. संरक्षण पंजिका।

२०८८

(डॉ. रामकुमार दावीच)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर